

04.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या एक से चार के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोंडेंट संख्या एक से चार के अधिवक्ता द्वारा फार्म संख्या 3 के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की निगरानी संख्या 2021/3424/जोधपुर रामस्वरूप बनाम सुगना में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटो प्रति प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 17.08.2021 का अवलोकन किया। माननीय मण्डल के निर्णय अनुसार निगरानी ग्राह्य स्तर पर स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि उभय पक्ष को सुनकर दो माह में विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें। तब तक विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु समस्त पक्षकारान को पाबंद किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार हस्तगत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवायी जावें।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दारिखल दफ़तर हो।

W. S. S.  
4/10/2021  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर